प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाड़ा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2023
प्र.इ.रि.स......148/2023...................... दिनांक 13/6/2023
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ....236....................... समय......2:55 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः सोमवार दिनांक 12.06.2023 समय 04.50 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 06.06.2023
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 565 किलो मीटर
(ब) पता : कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा।
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री प्रकाशचन्द्र भोई
(ब) पिता – श्री कचरु भोई
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 45 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .... –...................... जारी होने की तिथि...............................
जारी होने की जगह......... –...
(र) व्यवसाय – सरकारी नौकरी
(छ) पता – जवाहर कोलोनी मोरडी पुलिस थाना गढ़ी जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : मोहम्मद मुस्तफा शेख पिता मोहम्मद ईब्राहीम शेख उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बोरी रोड(सरकारी नर्सरी के पास) गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 3,000/– रूपये
11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय्
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा।

विषयः– श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत मांगने बाबत्।

महोदय्

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढ़ी में पदस्थापित था कि मेरे विरुद्ध पुलिस थाना गढी में अवैध हथियार लाईसेंस जारी करने संबधी फौजदारी प्रकरण दर्ज होने पर मुझे निलम्बित किया गया है तथा निलम्बन का मुख्यालय तहसील कार्यालय अरथुना किया गया है। जहां पर मैं नियमित उपस्थिति दे रहा हूं। मेरे निलम्बन अवधी का नियमानुसार वेतनमान उप खण्ड कार्यालय गढी से आहरित हो रहा है। मेरी माह मार्च 2023 से माह मई 2023 तक का भुगतान बकाया चल रहा है। श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स जिला बांसवाडा में पदस्थापित है, जिसको उप खण्ड कार्यालय गढी में वेतन बिल बनाने हेतु लगा रखा है। गढी उप खण्ड कार्यालय में श्री मोहनपाल सिंह झाला कनिष्ठ सहायक जो संस्थापन शाखा में पदस्थापित है जिनसें मैने सम्पर्क किया तो उन्होनें कहा कि वेतन बिल व एरियर संबधी कार्य मुस्तफा शेख द्वारा किया जा रहा है उससे ही बात कर लो वह बना देगा। श्रीमान जिला कलक्टर बांसवाडा के आदेश कमांक 27–30 दिनांक 09.01.2023 के द्वारा मुझे वेतन का 75

प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश भी प्रसारित किये गये है। बकाया वेतन एवं निर्वाह भत्ता एरियर के संबध में श्री मुस्तफा शेख से मिला तो उसने 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे द्वारा रिश्वत राशि नही देने पर अभी तक वेतन व एरियर बिल बनाने की कार्यवाही नही की गई है। मैं मुस्तफा शेख को रिश्वत नही देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं कार्यवाही करावें।

दिनांक– 06.06.2023

प्रार्थी

सही/–

प्रकाशचन्द्र भोई पिता श्री कचरुभाई निवासी जवाहर कोलोनी मोरडी तहसील गढी जिला बांसवाडा। मो.नं– 7733889890

कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 06.06.2023 समय 12.25 पीएम पर श्री प्रकाशचन्द्र भोई पुत्र श्री कचरु भोई जाति भोई उम्र 45 वर्ष निवासी जवाहर कोलोनी मोरडी तहसील गढी जिला बांसवाडा ने ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–बशब्द सही होना व रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि मैं वर्ष 2020 में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा में पदस्थापित था कि मेरे विरुद्ध पुलिस थाना गढी में अवैध हथियार लाईसेन्स जारी करने का प्रकरण दर्ज होने पर मुझे निलंबित किया गया तथा मेरा निलम्बन काल का मुख्यालय तहसील कार्यालय अरथुना किया गया। निलंबित किया जाने पर मुझे नियमानुसार निर्वाह भत्ते का भुगतान उप खण्ड कार्यालय गढी से किया जाता है। उप खण्ड कार्यालय में श्री मोहनपाल सिंह झाला कनिष्ठ सहायक संस्थापन शाखा में पदस्थापित है जिनके द्वारा वेतन भुगतान संबधी कार्य किया जाना है परन्तु वहां पर वेतन बिल बनाने हेतु श्री मुस्तफा शेख कनिष्ठ सहायक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झडस तहसील अरथुना जिला बांसवाडा को बुलाकर लगा रखा है जिसके द्वारा वेतन बिल संबधी काम किया जाता है। मेरे माह मार्च 2023 से माह मई 2023 तक का वेतन का भुगतान बकाया चल रहा है एवं श्रीमान जिला कलक्टर बांसवाडा द्वारा मुझे वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश भी प्रसारित किये गये है जिसका एरियर भी बनाया जाना है। बकाया वेतन एवं एरियर के संबध में श्री मोहनपाल सिंह झाला से मिला तो मुझे श्री मुस्तफा शेख से मिलने हेतु कहा गया। जिस पर मुस्तफा शेख से मिला तो बकाया वेतन एवं एरियर बिल बनाने के लिये 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई और अभी तक वेतन व एरियर बिल बनाने की कार्यवाही नही की गई है। मैं उन दोनो को रिश्वत राशि नही देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। रिश्वत संबधित वार्तालाप मुस्तफा शेख द्वारा ही की जाती है। पूछताछ पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई ने यह भी बताया कि मोहनपाल सिंह कनिष्ठ सहायक एवं मुस्तफा शेख कनिष्ठ सहायक से किसी प्रकार की कोई उधारी लेन–देन बाकीयात नहीं और ना ही किसी प्रकार आपसी रंजिश हैं। दरियाप्त पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं। श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से डिजीटल टेप रिकोर्डर मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्ड के रख–रखाव व उसके संचालन की विधि पूर्णतया समझाई गई तथा ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया भी परिवादी को बताई गई। परिवादी ने बताया कि श्री मुस्तफा शेख अभी उप खण्ड कार्यालय गढी में मिलेगा। जिस पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक का परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई से आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 12.55 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से कस्बा गढी–परतापुर जिला बांसवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 04.30 पीएम पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया और डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई के हमराह समय करीब 02.00 पीएम पर उप खण्ड कार्यालय गढी जिला बांसवाडा के पास पहूंचकर परिवादी को रवाना किया तथा मैं उप खण्ड कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम रहा कुछ देर बाद परिवादी ने मुझे आकर बताया कि मुस्तफा शेख व मोहनपाल सिंह झाला कार्यालय में उपस्थित नही है और मैने मुस्तफा से मोबाईल से सम्पर्क किया तो उसने अपने घर बुलाया है। जिस पर परिवादी के हमराह उसकी मोटरसाईकल पर उप खण्ड कार्यालय गढी से रवाना होकर कस्बा गढी में बोरी रोड़ पर स्थित मुस्तफा शेख के घर के पास करीब 02.40 पीएम पर पहूंचकर परिवादी को उसके घर के लिये रवाना किया तथा मै आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम रहा। कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आकर बताया कि आरोपी मुस्तफा से रिश्वत संबधी वार्तालाप हुई परन्तु उसके द्वारा स्पष्ट रुप से रिश्वत की मांग नही की गई है। जिस पर मैने परिवादी को हमराह ब्यूरो इकाई बांसवाडा आने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे घरेलू कार्य होने से नही आ सकता हूं तथा दिनांक 08.06.2023 को प्रातः 09.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आ जाउंगा। परिवादी से टेप रिकोर्डर प्राप्त कर आपके निर्देशानुसार कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। टेप रिकोर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो परिवादी व आरोपी मुस्तफा शेख के बीच रिश्वत मांग बाबत् वार्तालाप हुई है परन्तु आरोपी द्वारा परिवादी से स्पष्ट रुप से रिश्वत राशि की मांग नही की गई है, जो परिवादी के उपस्थित आने पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 08.06.2023 समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित

आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 06.06.2023 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा मैं व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक जो उप खण्ड कार्यालय गढी पहूंचे और मैं उप खण्ड कार्यालय में गया तो मोहनपालसिंह व मुस्तफा शेख उपस्थित नही मिलने पर मेरे द्वारा मुस्तफा से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उसने अपने घर बुलाने पर मैं व हरभजनसिंह मोटरसाईकल से मुस्तफा के घर बोरी रोड़ गढी के पास पहूंच उनको मोटरसाईकल से उतारकर मैं मुस्तफा के घर गया तो मुस्तफा द्वारा मेरे वेतन बिल व एरियर बिल बाबत् वार्ता की परन्तु रिश्वत राशि के बारे में खुलकर बात नही की गई है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाने की मुनासिब हिदायत की गई। परिवादी ने यह भी बताया कि मुस्तफा शेख बहुत चालक व्यक्ति है जो अभी वार्तालाप के बाद तुरन्त ही रिश्वत राशि की मांग करेगा। श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से डिजीटल टेप रिकोर्डर मंगवाया जाकर परिवादी के हमराह जाकर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। दर्ज रहे कि रिश्वत मांग सत्यापन उपरान्त अविलम्ब ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बांसवाडा को जरिये दूरभाष अविलम्ब दो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो इकाई बांसवाडा भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 10.45 एएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से कस्बा गढी–परतापुर जिला बांसवाडा के लिये रवाना किया गया। समय 11.00 एएम पर तलबिदा शुदा स्वतंत्र गवाहान डॉ. अजय काशीनाथ गोले हाल खण्ड पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तलवाडा तहसील व जिला बांसवाडा एवं श्री मिलन खांट हाल कनिष्ठ सहायक संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। जिनको मुनासिब हिदायत कर सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। समय 05.00 पीएम पर श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक ने मिनी डिजीटल टेप रिकोर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द करते हुए बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा मैं व परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के समय करीब 11.55 एएम पर कस्बा गढी पहूंच परिवादी को मुनासिब हिदायत के उप खण्ड कार्यालय गढी भेजा तो परिवादी ने पुनः आकर बताया कि कार्यालय में मुस्तफा शेख उपस्थित नही है। जिस पर मैं व परिवादी उप खण्ड कार्यालय के सामने सुरक्षित स्थान पर पहूंचकर आरोपी के इन्तजार में मूकिम रहे। समय करीब 02.10 पीएम पर परिवादी को मुनासिब हिदायत के उप खण्ड कार्यालय गढी में रवाना कर मैं उप खण्ड कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम रहा। समय करीब 03.35 पीएम पर परिवादी उप खण्ड कार्यालय से बाहर आकर मिला और बताया कि आरोपी श्री मुस्तफा शेख से मेरे निर्वाह भत्ता व एरियर बिल के बारे वार्तालाप की गई तो मुस्तफा द्वारा वार्तालाप करते हुए मुझसे उक्त बिल बनाने हेतु 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई है जिसे मैने उक्त वार्ता को टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है और रिश्वत राशि लेकर दिनांक 12.06.2023 को बुलाया है। परिवादी से डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर आपके निर्देशानुसार परिवादी को दिनांक 12.06.2023 को प्रातः 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रवाना किया गया। डिजीटल टेप रिकोर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो आरोपी मुस्तफा शेख द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। समय 06.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान डॉ. अजय काशीनाथ गोले एवं श्री मिलन खांट को दिनांक 12.06.2023 को प्रातः 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 12.06.2023 समय 09.00 एएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई मय रिश्वत राशि 3,000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि दिनांक 08.06.2023 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा से मैं व श्री हरभजनसिंह जो कस्बा गढी पहूंचकर मैं समय करीब 11.55 एएम पर उप खण्ड कार्यालय गढी गया तो वहां पर मुस्तफा शेख उपस्थित नही मिलने पर मैं व हरभजनसिंह उप खण्ड कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुस्तफा शेख के आने का इन्तजार किया। समय करीब 02.10 पीएम पर पुनः उप खण्ड कार्यालय में गया तो मुस्तफा उपस्थित मिला तो उसके द्वारा मेरे निर्वाह भत्ता बिल व एरियर बिल बनाने के लिये 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई जिसे मैने टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया और टेप रिकोर्डर श्री हरभजनसिंह को उप खण्ड कार्यालय से बाहर आकर रिश्वत मांग सत्यापन बाबत् हुई वार्तलान के तथ्य बताते हुए टेप रिकोर्डर को बंद करके दे दिया था। समय 09.30 एएम पर स्वतंत्र गवाह डॉ अजय काशीनाथ गोले व श्री मिलन खांट ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। समय 09.45 पर स्वतंत्र गवाहान डॉ. अजय काशीनाथ गोले एवं श्री मिलन खांट को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 06.06.2023 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 06.06.2023 व 08.06.2023 को आरोपी श्री मुस्तफा शेख व परिवादी प्रकाशचन्द्र भोई के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव(LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ट सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई

तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 12.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मुस्तफा शेख को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500–500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रां के प्रस्तुत किए। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये है। कार्यालय के मालखाना से फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री माजिद खान कानि 241 से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और फिनॉफ्थेलीन पाउडर श्री माजिद खान कानि 241 से लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाह डॉ. अजय काशीनाथ से लिवाई गई तथा श्री माजिद खान कानि 241 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में अन्य कोई वस्तु नहीं छोडते हुए रखवाये गए। श्री राजेश कानि. नं. 555 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री माजिद खान कानि 241 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री माजिद खान कानि 241 से फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री माजिद खान कानि 241 व श्री राजेश कानि 555 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वत राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैर कर आरोपित को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री माजिद खान कानि 241 को सुपुर्द की जाकर मालखाने में रखवाकर श्री माजिद खान कानि 241 को ब्यूरो चौकी बांसवाडा पर रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्क्न, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि. से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गए। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 01.00 पीए पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई को रिश्वत लेन–देने के वक्त होने वाली वार्तालाप रिकोर्ड करने हेतु डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द किया जाकर परिवादी व हरभजनसिंह को परिवादी की निजी मोटरसाईकल पर तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ. अजय काशीनाथ गोले व श्री मिलन खांट एवं ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि., श्री महेशचन्द्र कानि., श्री राजेश कानि. जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के ट्रेप बाक्स, लेपटोप मय प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के लिए रवाना हुए। समय 01.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के पास पहूंचे। परिवादी को मुनासिब हिदायत के उप खण्ड कार्यालय गढी के लिये रवाना किया गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहन से उतर कर उप खण्ड कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुए। समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र उप खण्ड कार्यालय गढी से निकलकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि मैं उप खण्ड कार्यालय में गया तो श्री मुस्तफा शेख जो उप खण्ड अधिकारी महोदया व अन्य स्टाफ की उपस्थिति में कमप्युटर पर कार्य कर रहा था। जिस पर मैं कार्यालय के बरामदे में बैठा रहा और कुछ देर बाद मुस्तफा शेख कमरे से बाहर निकलकर मुझे खाना खाने का ईशारा करते हुए मोटरसाईकल लेकर अभी–अभी अपने घर की तरफ गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी मय हमराहियानों के उप खण्ड कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर आरोपी के आने के इन्तजार में मूकिम रहे। समय 02.50 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई को मुनासिब हिदायत के उप खण्ड कार्यालय गढी के लिये रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान परिवादी के ईशारे के इन्तजार में उप खण्ड कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम रहे। समय 04.50 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई ने कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी के मुख्य द्वार पर आकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता के रवाना होकर परिवादी के पास पहूंचकर परिवादी से डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि मुस्तफा शेख ने अभी–अभी उप खण्ड कार्यालय में मुझसे रिश्वत राशि 3,000 रुपये अपने दांहिने हाथ से ग्रहण कर दोनो हाथों से गिनकर अपने दांहीने हाथ में पकड़ रखे है, जो उप खण्ड कार्यालय के अन्दर बरामदे में खड़ा है। जिस पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता के परिवादी को हमराह लेकर तेज कदमों से चलकर उप खण्ड कार्यालय गढी के मुख्य गेट से प्रवेश कर भवन में पहूंचे तो वहां

Mf

बरामदें में कुर्ता पायजमा मय टोपी पहने हुए एक व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उसका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम मुस्तफा शेख पिता श्री ईब्राहीम शेख उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बोरी रोड गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा होना बताया। आरोपी मुस्तफा शेख को परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई से अभी–अभी 3,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने बताया कि अभी–अभी मुझे श्री प्रकाशचन्द्र भोई निलबित कनिष्ठ सहायक द्वारा जबरजस्ती 3,000 रुपये उसके बकाया निर्वाह भत्ता व एरियर बिल बनाने का कहते हुए हाथ में पकड़ा कर चला गया है। मुझे उप खण्ड कार्यालय गढ़ी में निर्वाचन कार्य करने हेतु मौखिक आदेश से बुलाया हुआ है जो मैं उक्त कार्य हेतु उप खण्ड कार्यालय में आया हुआ था। मौके पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि श्री मुस्तफा शेख झूठ बोल रहे है वह उप खण्ड कार्यालय से आहरित किये जाने वाले समस्त वेतन व एरियर बिल इत्यादि कार्य श्री मुस्तफा द्वारा ही किया जाता है। मैने अपने निलंबित अवधी के बकाया बमाह मार्च, अप्रेल व मई 2023 मासिक निर्वाह भत्ता व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय् बांसवाडा के बमाह जनवरी 2023 में 75 प्रतिशत हेतु जारी आदेश पर बकाया निर्वाह भत्ता एरियर बनाने हेतु मिला तो मुस्तफा द्वारा मुझसे 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई और दिनांक 06.06.2023 व 08.06.2023 को हुए रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री मुस्तफा ने मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी और उनकी मांग अनुसार ही आज मुझसे 3,000 रुपये उप खण्ड कार्यालय के संस्थापन शाखा में आकर अपने दांहिने हाथ से ग्रहण करते हुए दोनो हाथों गिनकर अपने दांहिने हाथ में रिश्वत राशि पकडे हुए मुझसे वार्तालाप करते हुए भवन के बरामदे के मुख्य द्वार तक आया था केवल अपने बचाव में अनजान बनते हुए झूठ बोल रहे है। इस पर मुस्तफा शेख ने कुछ नही कहा चुप रहा। आरोपी मुस्तफा अपने दांहिने हाथ की मुट्ठी को बंद रखे हुए था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मुस्तफा को अपनी दांहिने हाथ की बंद मुट्ठी को खोलने हेतु कहा तो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ते की उपस्थिति में खोला गया तो 500–500 रुपये सिमटे हुए नोट मिले। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कहने पर स्वतंत्र गवाह डॉ. अजय काशीनाथ गोले ने उक्त राशि को आरोपी के दांहिने हाथ से लेकर गिनवाया गया तो 500–500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू हुए। रिश्वत राशि 3,000 रुपये को गवाह डॉ अजय काशीनाथ को संभलवायी गई। उप खण्ड कार्यालय में उपस्थित सुश्री मंजु शर्मा उप खण्ड अधिकारी को ट्रेप कार्यवाही के हालात बताये जाकर ट्रेप कार्यवाही की लिखा–पढी हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु कहने पर उनके द्वारा कमरा उपलब्ध कराया गया। उक्त कमरे में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरु की गई। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री राजेश कुमार कानि. से मंगवाया जाकर प्रकिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री मुस्तफा शेख के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी मुस्तफा शेख के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाह डॉ. अजय काशीनाथ गोरे को संभलायी हुई रिश्वत राशि 3,000 रुपये को प्राप्त कर रिश्वत राशि को एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही के दौरान सुश्री मंजु शर्मा उप खण्ड अधिकारी से आरोपी श्री मुस्तफा शेख के उप खण्ड कार्यालय में वेतन व एरियर बिल व निर्वाचन कार्य करने बाबत् राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झडस से उप खण्ड कार्यालय में पदस्थापन बाबत् आदेश व परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के निर्वाह भत्ता व एरियर भत्ता संबधी आदेशो की प्रमाणित प्रति मय सूचना हेतु तहरिर जारी की गई। समय 06.45 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई व आरोपी श्री मुस्तफा शेख की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया तथा उप खण्ड कार्यालय में उपस्थित श्री सुभाषचन्द्र पटेल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उप खण्ड कार्यालय गढी को परिवादी प्रकाशचन्द्र के निर्वाह भत्ता व एरियर बिल तथा आरोपी श्री मुस्तफा शेख के उप खण्ड कार्यालय में पदस्थापन बाबत् दस्तावेज व सूचना हेतु तहरिर जारी कर सूचना व संबधित प्रमाणित दस्तावेज अविलम्ब ब्यूरो इकाई बांसवाडा लेकर उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। समय 07.00 पीएम पर जप्त शुदा रिश्वत राशि 03 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच.–02 इत्यादि ट्रेप बाक्स में रखवाये जाकर श्री राजेश कानि. को सुपूर्द किया जाकर श्री राजेश कानि व श्री पंकज कानि तथा परिवादी को उप खण्ड कार्यालय गढी में उपस्थित रहने की मुनासिब हिदायत की जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री महेशचन्द्र कानि. व श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक व आरोपी श्री मुस्तफा शेख के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक व आवश्यक संसाधन के उप खण्ड कार्यालय से आरोपी के निवास बोरी रोड़ गढी के लिये खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 07.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान,

आरोपी श्री मुस्तफा शेख व ब्यूरो जाप्ते मय प्राईवेट वाहन व चालक के आरोपी के रिहायशी मकान बोरी रोड गढी पुलिस थाना गढी पहूंचकर नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री मुस्तफा शेख के रिहायशी मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द मूर्तिब कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री मुस्तफा शेख व ब्यूरो जाप्ते के मय प्राईवेट वाहन व चालक के आरोपी के रिहायशी मकान से उप खण्ड कार्यालय गढी पहूंचकर परिवादी व हरभजनसिंह को परिवादी की निजी मोटरसाईकल पर व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश, श्री महेश, पंकज व आरोपी श्री मुस्तफा शेख, जप्त शुदा रिश्वत राशि 03 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच.–02 इत्यादि ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन मय प्राईवेट वाहन व चालक के उप खण्ड कार्यालय गढी से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 08.35 पीएम पर परिवादी व हरभजनसिंह को परिवादी की निजी मोटरसाईकल पर व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश, श्री महेश, पंकज व आरोपी श्री मुस्तफा शेख, जप्त शुदा रिश्वत राशि 03 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल. एच.–02 इत्यादि ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के मय प्राईवेट वाहन व चालक के उप खण्ड कार्यालय गढी से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 08.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 12.06.2023 को आरोपी श्री मुस्तफा शेख एवं परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। समय 11.30 पीएम पर तलबिदा शुदा श्री सुभाषचन्द्र पटेल पिता श्री माधवजी पटेल निवासी भीमसौर तहसील गढी जिला बांसवाडा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उप खण्ड कार्यालय गढी जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थिति आया है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान उप खण्ड अधिकारी गढी को एसपीएल 1 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा चाही गई सूचना व संबधित रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतियां श्री सुभाषचन्द्र ने प्रस्तुत कर बताया कि मैं वर्ष 2018 से निरन्तर उप खण्ड अधिकारी कार्यालय गढी में पदस्थापित हूं। उप खण्ड कार्यालय गढी ऑनलाईन वेतन बिल कार्य करने बाबत् कोई अनुभवी कार्मिक पदस्थापित नही होने से श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा में पदस्थापित है इससे पूर्व श्री मुस्तफा शेख शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान(डाईट) गढी जिला बांसवाडा में पदस्थापित था तब से करीब 2 वर्ष से श्री मुस्तफा शेख उप खण्ड कार्यालय गढी में वेतन बिल ऑनलाईन संबधित कार्य हेतु मौखिक आदेश से तलब करने पर उसके द्वारा कार्य किया जाता है। विद्यालय झड़स भी उप खण्ड कार्यालय गढी के अधीन आता है। श्री प्रकाशचन्द्र भोई उप खण्ड कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित था। अवैध हथियार लाईसेन्स जारी करने के मामले में श्री प्रकाशचन्द्र भोई के विरुद्ध पुलिस थाना गढी में मुकदमा दर्ज होने पर उसे निलंबित किया गया। जिसको नियमानुसार मासिक निवार्ह भत्ता वेतन उप खण्ड कार्यालय गढी से आहरित किया जाता था। कार्यालय रिकोर्ड अनुसार श्री भोई माह मार्च से मई 2023 तक व जनवरी 2023 से वेतन एरियर का भुगतान किया जाना शेष है। श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक जो उप खण्ड कार्यालय में मौखिक आदेश से अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन बिल व अन्य बिल ऑनलाईन तैयार किये जाने का कार्य किया जाता था। निलबित कार्मिक श्री भोई का निर्वाह भत्ता बिल व एरियर बिल का कार्य भी मुस्तफा द्वारा किया जाना था। श्री प्रकाशचन्द्र भोई निलबित कार्मिक के निर्वाह भत्ता व एरियर बिल व श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक उप खण्ड कार्यालय गढी में पदस्थापन संबधी सूचना व प्रमाणित रिकोर्ड कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के पत्र क्रमांक 4826 दिनांक 12.06. 2023 के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे शामील कार्यवाही किया गया। समय 11.45 पीएम पर आरोपी श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 13.06.2023 समय 12.05 एएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 3,000 रुपये, आरोपी श्री मुस्तफा शेख के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव के सीलचीट शुदा पैकेट, डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानि. को सूपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 12.30 एएम पर आरोपी श्री मुस्तफा शेख का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा को तहरिर जारी कर एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराने बाबत् थानाधिकारी के नाम तहरिर जारी कर आरोपी श्री मुस्तफा शेख हमराह श्री माजिद खांन कानि0, श्री महेशचन्द्र कानि मय सरकारी बोलेरो व हरभजनसिंह कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 01.25 एएम पर श्री माजिद खां कानि0, महेशचन्द्र कानि मय सरकारी बोलेरो व हरभजनसिंह कनिष्ठ

सहायक के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री माजिद खां कानि0 द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा में आरोपी को जमा कराने की रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक को आज दिनांक 13.06.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र भोई कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित था। वर्ष 2020 में परिवादी के विरुद्ध अवैध हथियार लाईसेन्स जारी करने बाबत् अपराधिक प्रकरण पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा में दर्ज होने पर परिवादी को नियमानुसार निलबित किया गया। परिवादी का वर्तमान में निलबंन काल अवधी का मुख्यालय तहसील अरथुना जिला बांसवाडा था। परिवादी को उसके निलंबन काल अवधी का मासिक निर्वाह भत्ता का भुगतान उप खण्ड कार्यालय अधिकारी गढी कार्यालय से किया जा रहा था तथा माह जनवरी 2023 परिवादी का निर्वाह भत्ता श्रीमान जिला कलक्टर बांसवाडा द्वारा 75 प्रतिशत किया जाने का आदेश प्रसारित किया गया था। परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा बकाया बमाह मार्च से बमाह मई 2023 के निर्वाह भत्ता व जनवरी 2023 से बमाह मई तक निर्वाह भत्ता एरियर बिल हेतु आरोपी श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झडस तहसील अरथुना जिला बांसवाडा में पदस्थापित होकर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के पत्र क्रमांक 4826 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार उप खण्ड कार्यालय के वेतन बिल ऑनलाईन कार्य करने बाबत् कोई अनुभवी कार्मिक नही होने से श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक जो ऑनलाईन कार्य हेतु अनुभवी होकर विद्यालय झडस उप खण्ड कार्यालय गढी क्षेत्र के अधीन होकर आरोपी श्री मुस्तफा को मौखिक आदेश से उप खण्ड कार्यालय गढी में आहरित किये जाने वाले वेतन बिल, एरियर बिल व अन्य बिल तथा निर्वाचन संबधी ऑनलाईन कार्य हेतु समय–समय पर तलब कर कार्य करवाया जाता था। परिवादी के निर्वाह भत्ता व एरियर बिल बाबत् कार्य भी श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक द्वारा किया जाना था। परिवादी द्वारा बकाया बमाह मार्च से बमाह मई 2023 तक के निर्वाह भत्ता बिल व बमाह जनवरी 2023 से बमाह मई 2023 तक के एरियर बिल हेतु आरोपी श्री मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क करने पर उक्त बिल बनाने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की जाने पर परिवादी द्वारा दिनांक 06.06.2023 को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिनांक 06.06.2023 व दिनांक 08.06.2023 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया तो आरोपी श्री मुस्तफा द्वारा परिवादी से 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दिनांक 12.06.2023 को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह तलब कर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर आरोपी श्री मुस्तफा शेख को परिवादी से रिश्वत राशि 3,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकडा गया है। इस प्रकार आरोपी मुस्तफा शेख वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनयिम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः मोहम्मद मुस्तफा शेख पिता मोहम्मद ईब्राहीम शेख उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बोरी रोड(सरकारी नर्सरी के पास) गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी मोहम्मद मुस्तफा शेख पिता मोहम्मद ईब्राहीम शेख, वरिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़स तहसील अरथुना जिला बांसवाडा हाल कार्यालय उप खण्ड अधिकारी गढी जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 148/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.6.23

(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 1115-18 दिनांक 13.6.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, संयुक्त शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

13.6.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।